



Office of the District Basic Education Officer MEERUT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Kite International School,NH58 Bypass Road Partapur Meerut is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to Kite International School is 410.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

23-08-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

DATE:- 23-08-2022

PLACE:- MEERUT


Chairman
KITE International School
Meerut


Principal
Kite International School
Meerut

District Basic Education Officer
Signature valid
Digital Signed by V.GUNARAJA
Date: 2022-08-23 12:58:21
Reason: For Digital Signature
Location: MEERUT



कल्याण नगर, मेरठ
ई-मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नम्बर 0121-2703911
फैक्स नम्बर 0121-2703911

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ |

पत्रांक-प्रबन्ध / मान्यता / ७७०० - ०४

/ 2020-21 दिनांक: - ३१/०३/२०२१

प्रबन्धक

काईट इन्टरनेशनल स्कूल

एन०एच०-५८, अपोजिट सुशान्त सिटी, (मेरठ)।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश काईट इन्टरनेशनल स्कूल, एन०एच०-५८, अपोजिट सुशान्त सिटी, (मेरठ) को एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 06 से कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) की अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिथति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक वो नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

on behalf of

Chairman

Kite International School

Meerut

Principal

Kite International School

Meerut

- V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलांपों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सूनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :-
- कुल निर्मित क्षेत्र :-
- कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल :-
- कक्षाओंकी संख्या :-03
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागारकेलिए कक्ष :-है
- बालकऔरबालिकाओंकेलिए पृथक शौचालय :-है
- पेयजलसुविधा :-है
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोईः:- है
- बाधारहितपहुंच :-है
- अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता :- है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर- मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 – (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

[Signature]
Chairman
KITE International School
Meerut

[Signature]
Principal
KITE International School
Meerut

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 410 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संब्धान का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

(सतीन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ०सं०/प्रबन्ध/मान्यता/

/2020-21

दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशात गंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा सामान्य अनुभाग-2, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जैनपद मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।


 Chairman
 KITE International School
 Meerut


 Principal
 Kite International School
 Meerut



Office of the District Basic Education Officer MEERUT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Kite International School Meerut, NH 58 Opposite Sushant City Bypass Road Partapur Meerut is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to Kite International School Meerut is 170.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

23-08-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Pre-Primary School and Primary School

5.Recognition No.

170

DATE:- 23-08-2022

PLACE:- MEERUT

District Basic Education Officer
Signature valid
Digital Signature by KITE INTERNATIONAL SCHOOL
Date: 2024-08-23 12:57:24
Reason: For Digital Signature
Location: MEERUT

M. Singh
Chairman
KITE International School
Meerut

Alvee
Principal
Kite International School
Meerut

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक-प्रबन्ध / मान्यता / ७७९/

/2020-21 दिनांक:- 31/03/2021

प्रबन्धक,
काईट इन्टरनेशनल स्कूल
एन०एच०-५८, बाईपास, मेरठ।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा की अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश द काईट इन्टरनेशनल स्कूल, एन०एच०-५८, बाईपास, मेरठ को एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से कक्षा 05 (अंग्रेजी माध्यम) की अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूझी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार—नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क को संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कैनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

Chairman
KITE International School
Meerut

Principal
Kite International School
Meerut

- V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियुक्तिजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :—
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :—
 - कुल निर्मित क्षेत्र :—
 - कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल :—
 - कक्षाओंकी संख्या :— 05
 - प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडागारकेलिए कक्ष :—है
 - बालकऔरबालिकाओंकेलिए पृथक शौचालय :—है
 - पेयजलसुविधा :—है
 - मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई :— है
 - बाधारहितपहुंच :—है
 - अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता :— है
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर— मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 – (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

Surajit
Chairman
KITE International School
Meerut

Alpne
Principal
Kite International School
Meerut

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या .../70 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो प्रदंत मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

(सतोन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मरठ

on behalf of
Chairman
KITE International School
Meerut

Rajvee
Principal
Kite International School
Meerut